न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—320 / 2016 / 225(2016 / 00320)

1. शकुर खां पुत्र स्व0 भोलू खां, जाति मुसलमान, नि0 ग्राम उंटड़ा तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थनान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर, जरिये सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. श्रीमती मुन्नी बेगम पत्नि नजीर मोहम्मद,
4. श्रीमती शरीफा बानो पत्नि शब्बीर मोहम्मद,
   जाति मुसलमान, नि0 ग्राम उंटड़ा तह0 व जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर , दिनांक 30.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 45 / 2016 .

उपस्थितः—

1. श्री सी0पी0शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंटस संख्या 1.
3. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—28.03.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के आदेश दिनांक 30.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ऊंटडा, तहसील व जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1808 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी जिसके वर्किंग जमाबंदी में खसरा नंबर 2069, 2070, 2076, 2155 व 2156 बने है । यह आराजियात प्रार्थीगण / अपीलांटस की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी कब्जे, उपयोग की भूमि है जिस पर वर्तमान आधार जमाबंदी में इंद्राज खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन करते समय खसरा नंबर 2076 के आधार जमाबंदी के अनुसार नये खसरा नंबर जो कि 2776, 2821, 2822 बने तथा खसरा नंबर 2069 के नये खसरा नंबर 2823 बने है जिन्हें खातेदारी में अंकन नहीं किया और 2778 की आराजी का अंकन दर्ज करने के बजाये त्रुटि से 2780 का अंकन दर्ज कर दिया और 2778 की आराजी का अंकन नहीं किया और जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि खसरा नंबर 2778 व 2821, 2822, 2823 की आराजी को बिना किसी आदेश के तथा खातेदारी प्रार्थीगण को सूचित किये बिना ही सरकारी भूमि दर्ज कर दिया तथा वर्तमान आधार जमाबंदी में नये खसरा नंबरान जो खाता संख्या 01 में सरकारी सिवायचक दर्ज है जिसके साथ वादीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2778 व

2821, 2822, 2823 को भी शामिल कर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अप्रार्थी संख्या 1 विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश से अंकन कर दिया । अतः वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 30.6.2016 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कथनों की पुष्टि में प्रार्थी ने चौसाला जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 एवं वर्किंग जमाबंदी तथा वर्तमान आधार जमाबंदी एवं इनके पुराने खसरा नंबर 1808 से 2076 एवं 2069 से 2076, 2778 व खसरा नंबर 2069 से नये खसरा नंबर 2821, 2822, 2823 बनाये जाने की पुष्टि में मिलान क्षैत्रफल की प्रति संलग्न की जिसका खण्डन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया और न ही अप्रार्थीगण द्वारा जवाब ही प्रस्तुत किया गया इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अखण्डित दस्तावेजी साक्ष्यों को अपने निर्णय में नहीं मानने बाबत् कोई अंकन नहीं कर केवल मात्र पांच लाईन की आदेशिका में आदेश पारित अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में प्रकरण दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजियात पर पुश्तैनी समय से खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है जिन्हें त्रुटिपूर्ण इंद्राज की आड़ में जबरन बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट को ही अपूर्णीय क्षति होती है । अधी0न्याया0 ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश में इन तथ्यों के संबंध में को विवेचन किये बिना प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 एवं रेस्पो0 संख्या 2 ने संयुक्त बहस करते हुए कथन किया किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तातंरित की है । अपीलांटस वर्तमान में विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार नहीं है जिससे उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित नहीं की जा सकती है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थीगण/अपीलांटस ने विवादित आराजियात स्वंय के खातेदारी की होने तथा काबिज होने का कथन अंकित किया है । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा प्रतिवादीगण राज्य सरकार से जवाब प्राप्त किये बिना केवल मात्र पांच लाईन में प्रार्थना पत्र को निर्णित किया है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का भी विवेचन, विश्लेषण के संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया हैं। धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु आवश्यक तीन घटक यथा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का विवेचन, विश्लेषण किया जाना आवश्यक है

किन्तु अधी0न्याया0 ने इस संबंध में कोई विवेचन, विश्लेषण अपने निर्णय में नहीं कर केवल मात्र सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र को निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर का आदेश दिनांक 30.6.2016 को खारिज किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर दो माह में निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर